14.09.2024

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ क्रमांक 24 में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण फरियादी/आहत हीरालाल एवं लक्ष्मीबाई द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन 320(1), 320 (2) द.प्र.सं. पर विचार हेतु नियत है।

उक्त आवेदन पर फरियादी/आहत/गण का फोटो चित्र चस्पा है। फरियादी की पहचान आधार कार्ड द्वारा स्थापित की गयी।

प्रकरण का अवलोकन किये जाने पर अभियुक्त/गण सकूरा पर धारा **294, 323/34, 323(दो–बार) एवं 506 भाग–दो** भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का आरोप है उक्त अपराध उभयपक्ष के मध्य शमनीय है।

आहत/फरियादीगण के राजीनामा कथन लेने पर उसने स्वेच्छया बिना किसी डर दबाव, धौंस के समझौता करना व्यक्त किया और आरोपी से मधुर संबंध स्थापित हो जाने से प्रकरण समाप्त करने की प्रार्थना की। अपराध शमन के प्रभाव स्वरूप उभय पक्ष के मध्य विवाद का स्थाई निराकरण होगा और उभय पक्ष के मध्य सौहार्द्र पूर्ण संबंध स्थापित होंगे। आहत/फरियादी राजीनामा करने हेतु सक्षम पक्षकार है एवं धारा **323 भादवि. स्वयं द्वारा एवं धारा 294, 506 भाग–दो** न्यायालय द्वारा शमनीय होने से धारा **294, 506 भाग–दो** भा.दं.सं. के अपराध का शमन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः फरियादी/आहत को राजीनामा करने कि अनुमति दी जाती है।

अतः फरियादी/आहत की ओर से राजीनामा आवेदन पत्र धारा 320(1), 320 (2) द.प्र.सं. स्वीकार कर **आरोपी/गण कल्ला पिता लक्ष्मन अहिरवार, पंखू पिता कल्ला अहिरवार, दोनों निवासीगण ग्राम गोरखपुरा थाना भगवां, जिला छतरपुर म.प्र.** को धारा **294, 323/34 323(दो–बार), एवं 506 भाग–दो** भारतीय दंड संहिता

Scanned with OKEN Scanner

II-156
C.J.

(3)

Order Sheet (Contd)

शास० X पंचू वगैरह Case No 279 of 2024

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। आरोपीगण के जमानत/मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा 1 बांस एवं 1 सतकठा की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में तोड़कर नष्ट की जाये, तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये। अतः प्रकरण का परिणाम अंकित कर समयावधि में अभिलेख, अभिलेखागार में जमा किया जावे। (अखिलेश गुप्ता) सदस्य खण्डपीठ क. 24 नेश.लोक.अदालत बड़ामलहरा (अभिषेक दीक्षित) पीठा.अधि./जे.एम.एफ.सी. खण्डपीठ क. 24 नेश.लोक.अदालत बड़ामलहरा	लक्ष्मी हीरालाल पंचूलाल आ. नि. फैसल। Property memo Recd & 7/10/24

(P.T.O)